

11933
10-8-17

RTI Cell
9/8/17

ज० सू० अ० मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी,

कार्यालय पता - आठवा तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4124/2017/

/ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

सेवा में,

29483-526

9/8/17

समस्त जन सूचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

विषय:

श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 03.08.17 जो कि श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07.08.17 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पत्र की विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से है। इसलिए आवेदक के आर०टी०आई० आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत आपको इस आशय से स्थानान्तरित की जा रही है कि आप अपने कार्यालय से सम्बंधित वांछित सूचना निर्धारित समय-अवधि के दौरान सीधे आवेदक को भेजने का कष्ट करेंगे। आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क 10/- रूपए वाया नकद/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 38F 241262 of Rs.10/- के रूप में इस कार्यालय में जमा कर दिए हैं।

यदि वांछित सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया आवेदक के आवेदन पत्र को सबसे निकटतम सम्बंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दे।

563/RTI/2017
10-8-2017

भवदीय,

[मीना नायक]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4124/2017/

/ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि:-

- श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 को सूचनार्थ व यदि आपको उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से 30 दिन की समय-अवधि के अन्दर जवाब नहीं मिलता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो कृपया अपनी प्रथम अपील उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दायर करें
- लेखाकार/पुलिस मुख्यालय को भारतीय पोस्टल ऑर्डर उपरोक्त मूल्य 10/- के सहित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Copy to L @ SZMT.

[मीना नायक]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

सेवा में

जान सूचना अधिष्ठाता

दिल्ली पुलिस मुख्यालय एम.एस.ओ. गगन
वाक दिल्ली - 110002विषय। सूचना के अधिष्ठाता अधिनियम 2005 के तहत
आवेदन।

- (1) दिल्ली पुलिस के सभी जिला के व सभी इकाइयों
से शरकारी वाहनों के रखरखाव पर जनवरी
2016 से 30 जुलाई 2017 तक कितनी शिशि सर्वे
की गई इसका साहकार कपीरा दिया जाए?
- (2) जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 तक महिलाओं
के कितने चालान किए किस किस चारा के
तहत किए एवं कितने पुरुषों के चालान किए
गए इसका साहकार कपीरा दे चालानात पुलिस,
- (3) जनवरी 2017 से 31 जुलाई तक चालान से
आतायात पुलिस को कितना राजस्व प्राप्त हुआ
इसका साहकार कपीरा दे?
- (4) सूची के द्वारा कितने कपीरा के चालानों पर
कितने वाइसस जस्टिफिकेशन के चालानों को
उत्पादन करने वाले कितनी महिलाओं एवं पुरुषों को

आतायात पुलिसने सजा दिलवाई इसका माहवार
 कपीरा दिया जाए।

(5) वर्ष 2015 से 30 जुलाई 2017 तक सभी जिला में
 रोड दुर्घटना में कितने बच्चों की मौत हुई ?
 सिध बच्चों का ही कपीरा दिया जाए ?

(6.) आतायात पुलिस की कितनी बाल बालियां है दिल्ली
 में ? तथा कितनी में टाइमर लगे हुए है ?

(7) कितनी बाल बाली के टाइमर खराब है तथा अपकसे
 है, जनवरी 2014 से 30 जुलाई 2017 तक कितनी
 बार कितने टाइमर खराब हुए तथा टाइमर के
 खराबभाव पर कितनी शीथि लेव की गई वर्षवार
 इसका कपीरा दे ?

(8.) बाल बाली के खराबभाव पर वर्ष 2014 से 30
 जुलाई 2017 तक कितनी शीथि लेव की गई तथा
 कितनी बार बाल बाली पर पेंट (कालर) किया गया
 कितनी बार कितने बाल बाली के टाइमर खराब
 हुए, कपीरा दिया जाए।

(9.) वर्ष 2014 से 30 जुलाई 2017 तक कितने सिग्नल और
उल्लेखित लगाए गए इसका रैंज किस एजेंसी को
किस अनुबंध पर दिया गया तथा कितनी राशि में
इसका विस्तार पूर्वक अधीन दिया जाए?

(10) सिग्नल व लाल बत्ती के पैर व अन्य व्ययों के
बिन्दे वर्ष 2014 से 30 जुलाई 2017 तक कितना बंड
पाए हुआ?

(11) कितनी लाल बत्ती पर कैमरे लगाए हैं कितनी पर
राशि लगे हैं? इनमें कितने कैमरे वर्तमान में 2 बराब, बन्द
पड़े हैं? जनवरी 2014 से 30 जुलाई 2017 तक कितनी
बार कैमरे 2 बराब हुए? तथा कितनी राशि के बन्द
कैमरे 2 बराबे गए किस कंपनी से 2 बराबे? इसका वर्षवार
विस्तार पूर्वक अधीन दिया जाए?

आरबीआई व्हा जनरल राजभाषा से भी दिया जाए।

— दयानन्द । —